न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी / अपील डिक्री / टीए / 2003 / 3489 / पाली.

पेमा पुत्र रामजी जाति कीर साकिन मानपुरा तहसील व जिला पाली।

.............प्रार्थी

बनाम

ढलिया पुत्र घीसा जाति कीर निवासी मानपुरा तहसील व जिला पाली।

............अप्रार्थी

खण्ड पीठ
श्री आर.डी. मीणा, सदस्य
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थित :
श्री मनन जैन विद्वान अधिवक्ता (ब्रीफ होल्डर) प्रार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक :– 29 / 07 / 2025.

1– हस्तगत नजरसानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की विद्वान खण्डपीठ द्वारा अपील प्रकरण संख्या 10 / 2001, बउनवान ढलिया बनाम पेमा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–7–2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2– नजरसानी याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी / वादी पेमा ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत अप्रार्थी / प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 274 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा किस्म कच्छार दोयम पर वादी का कब्जा काश्त संवत 2012 से लगातार चला आ रहा है। अतः वाद डिक्री कर उसे उक्त आराजी का गैर खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे। दावे की कार्यवाही में प्रतिवादी का इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। विचारण न्यायालय ने इकबाली दावे से असंतुष्ट होकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–97 द्वारा वादी का दावा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2000 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी / प्रतिवादी ढलिया ने

राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील सं0 10/2001 ढलिया बनाम पेमा पेश की गई, जिसे मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–7–2003 द्वारा अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2000 निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पाली का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–1997 यथावत बहाल रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–7–2003 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी/वादी पेमा ने यह नजरसानी याचिका पेश की गई है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–7–2003 न्याय, नियम एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी ने दिनांक 12–9–94 को इकबाली जवाबदावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं स्वयं प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दिनांक 13–10–1996 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान कलमबंद करवाये गये, जिसमें यह स्पष्ट कहा है कि ''मैंने मेरे जीवनकाल में इस जमीन पर कब्जा काश्त पेमा पुत्र रामा मानपुरा वाले को देखा है''। ढलिया ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि ''मेरा व मेरे बाप दादाओं या मेरे परिवार वालों का कब्जा कभी भी नहीं रहा है।'' ढलिया प्रतिवादी के बयानात से वादी का वाद पूर्णत साबित है एवं प्रार्थी मुखालफाना कब्जे के आधार पर अपना नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी है। इसके बावजूद माननीय राजस्व मण्डल ने इस बिन्दु पर गौर नहीं कर प्रार्थी के विरूद्ध आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–7–2003 पारित करने में प्रथम दृष्टया कानूनी त्रुटि की है। प्रार्थी एवं स्वतंत्र गवाह बनाराम व मीयाराम के बयानों से वादग्रस्त आराजी पर उसका 40 वर्षो से कब्जा होना स्पष्ट है। अप्रार्थी स्वयं ने अपने अपील मीमों के पैरा सं0–4 में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करना अंकित किया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि ''स्वीकारोक्ति सबसे अच्छी साक्ष्य है।'' जैसा कि ए.आई.आर. 1960 (एस.सी.) 100 में वर्णित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं प्रतिवादी ने वादी का कब्जा होना स्वीकार किया है एवं इकबालिया जवाब दावा पेश किया है। माननीय खण्डपीठ ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का विवेचन एवं विश्लेषण भी अपने निर्णय में नहीं किया है। उनका यह कथन है कि उन्होंने माननीय खण्डपीठ के समक्ष यह भी तर्क रखा था कि आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के अनुसार स्वीकारोक्ति के जवाबदावे के आधार पर प्रार्थी का दावा डिक्री किया जाना चाहिए, उक्त बिन्दु पर भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया त्रुटि की गई है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल की खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 04–7–2003 निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2000 को यथावत रखा जाये।

4– इसका विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 04–7–2003 में प्रथम दृष्टया पृष्ठ पर दिखने वाली कोई त्रुटि नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नजरसानी को अपील के जैसे नहीं सुना जा सकता एवं नजरसानी की कार्यवाही प्रकरण की मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं हो सकती है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत याचिका के माध्यम से पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन चाहा है,

जिनका निस्तारण अपील के स्तर पर गुणावगुण पर हो चुका है। गौरतलब है कि गलत निर्णय को पुनर्विलोकन अधिकारिता के अन्तर्गत सहीं नहीं किया जा सकता है एवं पुनर्विलोकन न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य नहीं कर सकता है एवं ना ही दोषपूर्ण मत को सही किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5— उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

''**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—229 के अनुसार :—** बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने की शक्ति—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबंधों के अध्यधीन—

(1) बोर्ड अपनी स्वप्रेरणा से या वाद अथवा कार्यवाही के पक्षकारों के आवेदन पर स्वयं द्वारा या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की गई डिक्री या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसे विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा, और

(2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिये सक्षम होगा।

धारा—229 के अनुसार न्यायालय अपनी डिक्री या आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अध्यधीन ही किया जा सकेगा। धारा—229 के प्रांरभिक खण्ड में इसका उल्लेख किया गया है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश—47 के नियम धारा—229 के अधीन पुनर्विलोकन पर संपूर्ण शक्ति सहित लागू होते है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश—47 के अनुसार किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर किया जा सकता है—

(1) जब किसी नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चले अर्थात् कोई नये तथ्य प्रकाश में आवे, जो डिक्री या आदेश पारित करने के समय—

(क) उचित प्रयास करने के बावजूद उसके ज्ञान में नहीं था, या

(ख) उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या

(2) किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख पर प्रकट होती हो,

(3) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।''

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी याचिका के माध्यम सें द्वितीय अपील संख्या 2001/10 उनवानी ढलिया बनाम पेमा में मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04—7—2003 का पुनर्विलोकन चाहा गया है तथा उसे अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 04—7—2003 के द्वारा प्रार्थी प्रत्यर्थी ढलिया की अपील इस आधार पर स्वीकार की गई है कि केवल संवत 2012 से अपना कब्जा होना कहने मात्र से वाद सिद्ध किया जाना पर्याप्त नहीं है घोषणा के लिए वादी को अपना दावा ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करना नितांत आवश्यक है। पत्रावली पर जो दस्तावजी साक्ष्य उपलब्ध है उसमें प्रत्यर्थी/रेस्पोडेंट विवादित आराजी का गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका मूल अपील में विनिश्चित किये जा चुके उक्त

तथ्यों को पुनः दोहराते हुए पेश की गई है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनर्विलोकन न्यायालय कभी भी अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। पुनर्विलोकन की अधिकारिता का उपयोग केवल apparent error को ठीक करने अथवा gross abuse of process को रोकने की हद तक ही किया जा सकता है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई विशिष्ट तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये है, जो कि प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि की श्रेणी में आते हो। पुनर्विलोकन की कार्यवाही में सिर्फ पारित आलोच्य आदेश में प्रथम दृष्टया अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि पर ही विचार किया जा सकता है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य एवं आधार लिये गये हैं वे सभी तथ्य एंव आधार प्रार्थी के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कराने हेतु सहायक सिद्ध नहीं हो सकते।

7— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ—455 ''श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी'' में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :—

"Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है किः—

“A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous.”

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ 290 में यह प्रतिपादित किया गया है किः—

“In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between ‘an erroneous decision’ and ‘an error apparent on the face of the record.’ While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purposeand cannot be allowed to be an appeal in disguise.”

8— इस प्रकार पुनर्विलोकन बाबत समय—समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है, अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

9— उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि विद्वान खंडपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का

अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये, जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त नये व महत्वपूर्ण साक्ष्य के पता चलने से सम्यक् तत्परता के पश्चात् जब आदेश पारित किया गया उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नही किया जा सकता था या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से प्रकट होती हो। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही पुनर्विलोकन का आधार हो सकती है अन्यथा ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान खंड पीठ द्वारा पारित आदेश गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी पुनर्विलोकन का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। पुनर्विलोकन एक और अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। अतएव उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

10— परिणामतः हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा—229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधिवक्ता उभय पक्षो को जरिये कम्प्यूटर सूचना दी जाकर पत्रावाली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(आर.डी. मीणा)
सदस्य